कार्यालयः वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक– 2801 / ~~10 केस~~ 33-1 / दिनांक, मार्च, 22, ,2022।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषय :– जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कालौनी सिविल लाईन, झांसी द्वारा 33/11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 उपकेन्द्र से 33 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी–ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य के प्रयोग हेतु तथा 391 प्रभावित वृक्षो की तरासी के संम्बन्ध मे।

संदर्भ :–
1. आपका पत्रांक– 1991/11–सी दिनांक 04.12.2022
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक– 2724/15–1, दिनांक 22.03.2022।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में आपके उपरोक्त संदर्भित पत्रं द्वारा लगाई गई आपत्तियो का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी झांसी ने अपने संदर्भित पत्रं दिनांक 22.03.2022 द्वारा संशोधित पूरक अभिलेख (तीन प्रतियों में) संलग्न कर संस्तुति सहित इस कार्यालय मे प्रेषित किये गये है। जो मूल मे संलग्न कर महोदय की सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार मूल में तीन प्रतियां।

भवदीय

24/03

(पी0पी0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– 2801 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(पी0पी0सिंह)
मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी वन संरक्षक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

Received
22/03/22

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2724 /15–1 दिनांक, झांसी, मार्च 22 - 2022

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0,
झांसी ।

Phone/Fax No. - (0510) 2370037
E-mail - dfojhansi@gmail.com
Address - 121 Civil Line, Jhansi

विषयः– जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाइड्रिल कालौनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33/11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 उपकेन्द्र से 33 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाइन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी–ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 391 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का कार्यालय पत्रांक–1991/11–सी, दिनांक 04.12.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव में परीक्षण उपरान्त लगाई गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर कमियों/अभिलेख संलग्न कर पी0डी0एफ0 फाइल पेन ड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न कर संस्तुति के साथ इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव में अपने स्तर से संस्तुति सहित प्रस्ताव की तीन प्रतियाँ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में संलग्न किया गया लीज प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण, अतः इसे प्रस्ताव से पृथक करे। प्रस्ताव में वनभूमि के सापेक्ष लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न करें ।	प्रस्ताव में संलग्न पूर्ण लीज प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण को प्रस्ताव से पृथक कर, प्रस्तावित वनभूमि के सापेक्ष में पुनः लीज अवधि वचनवद्वता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है, पृष्ठ सं0–35
2	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग पक्ष में भुगतान की वचनवद्वता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न करें ।	प्रस्ताव में प्रभावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर मूल्य निर्धारण कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) तथा प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ट हेतु वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनवद्वता याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत की जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, प्रस्ताव में संलग्न है, पृष्ठ सं0–35A
3	मानक शर्तो के मान्य होने की वचनवद्वता संलग्न है किन्तु वचनवद्वता प्रमाण पत्र पर प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नही है।	मानक शर्तो की वचनबद्वता प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव में संलग्न है, पृष्ठ सं0–33 से 34 तक

4	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक 1428/11सी, दि0 16.12.2020 के कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र जो वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं किया गया है।	प्रस्तावित अवनत वनभूमि जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र ठकुरपुरा वन ब्लाक की आरक्षित चयनित वनभूमि का DSS Analysis प्रतिहस्ताक्षरित युक्त प्रमाण पत्र संलग्न है, पृष्ठ सं0–59
5	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु प्रमाण पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित नहीं है। अतः पत्रांक व दिनांक युक्त जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें ।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र पर पत्रांक व दिनांक अंकित कराकर संलग्न कर दिया गया है, पृष्ठ सं0–26
6	प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति संलग्न है किन्तु गजट नोटिफिकेशन पर प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है तथा सभी प्रस्तावित स्थल चिन्हित भी नहीं किये गये है ।	प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति पर प्रस्तावित स्थल को चिन्हित कर अधोहस्ताक्षरी द्वारा सत्यापित कर संलग्न है, पृष्ठ सं0–62 से 64 तक
7	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि फीड नहीं की गयी है।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि फीड कर दी गयी है।
8	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल के kml file के स्थान पर प्रस्तावित वनभूमि से सम्बन्धित kml file अपलोड किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे डिलीट कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण चयनित स्थल की kml file अपलोड करें ।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(i) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की kml file अपलोड कर दी गयी है।
9	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन कमांक 13(iii) में Geo Refrenced Digital Map कमांक 13(iv) में Sol Toposheet एवं कमांक 13(v) में उपयुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है।	ऑनलाइन भाग–2 के कमांक 13(ii) में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन कमांक 13(iii) में Geo Refrenced Digital Map कमांक 13(iv) में Sol Toposheet एवं कमांक 13(v) में उपयुक्ता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है।
10	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न करें ।	उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर संशोधित पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर प्रस्ताव में संलग्न है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी